



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052026-272716  
CG-DL-E-19052026-272716

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2442]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2026/वैशाख 25, 1948

No. 2442]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2026/VAISAKHA 25, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2026

का.आ. 2534(अ).— केंद्रीय सरकार, उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 87 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करती है कि कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय के नाम से ज्ञात होगा।

[फा. सं. एस-65025/2/2025-आई एस एच -II- भाग(1)]

डा. महेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव

---

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th May, 2026

**S.O. 2534(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 87 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020), the Central Government hereby notifies for general information that the Directorate General of Factory Advice Service and Labour Institutes shall be known as the Directorate General Occupational Safety and Health with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. S-65025/2/2025-ISH-II-Part(1)]

Dr. MAHENDRA KUMAR, Jt. Secy.